बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 290818 दिनांक 15/09/2020

ग्रा०वि०15(स्वच्छता)-11/2019

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
पंचायती राज विभाग, बिहार।

प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष,
जिला जल एवं स्वच्छता समिति, बिहार।

विषय: **ग्राम पंचायतों द्वारा 15वें वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त (Tied Fund) राशि का उपयोग 'स्वच्छता एवं पेयजल' कार्यों पर किये जाने के संबंध में।**

प्रसंग: **पंचायती राज विभाग के पत्रांक 3329 दिनांक 25.05.2019, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 462278 दिनांक 21.05.2020 एवं सचिव, जलशक्ति मंत्रालय एवं सचिव पंचायती राज मंत्रालय का संयुक्त पत्र 11011/1/2020 दिनांक 17.03.2020.**

महाशय,

उपरोक्त विषय में कहना है कि 'स्वच्छ पेयजल आपूर्ति' एवं 'संपूर्ण स्वच्छता' ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक-आर्थिक उत्थान हेतु महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में "हर घर नल का जल" एंव 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' निश्चय योजना के रूप में सम्मिलित है।

आप अवगत हैं कि "हर घर नल का जल" निश्चय योजना द्वारा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' निश्चय योजना अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को 'खुले में शौच से मुक्त' बनाने का सराहनीय कार्य किया गया है। उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन एंव सफलता में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं एवं प्रतिनिधियों की अहम भूमिका रही है।

15वें वित्त आयोग द्वारा 'स्वच्छ पेयजल आपूर्ति' एवं 'सम्पूर्ण स्वच्छता' को राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रथम प्राथमिकता कार्य के रूप में चिन्हित किया गया है एवं तदुनुरूप 15वें वित्त आयोग से देय राशि की 50% राशि को 'स्वच्छता' एवं 'खुले में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व तथा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, रेनवाटर हार्वेस्टिंग, जलचक्रण के लिए

चिन्हित (Tied Grant) किया गया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं द्वारा उक्त (Tied Grant) अनुदान राशि का लगभग आधी राशि दोनों घटकों पर उपयोग किया जा सकेगा, परन्तु किसी एक घटक में संतृप्तता होने पर दूसरे घटक में उपयोग किया जा सकेगा।

इस संबंध में सचिव, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संयुक्त पत्र के माध्यम से 15वें वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त Tied राशि (Tied Fund) से 'स्वच्छता' एवं 'खुले में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व तथा 'स्वच्छ पेयजल आपूर्ति' के तहत किये जाने वाले कार्यों की विवरणी उपलब्ध करायी गयी है। साथ ही, प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग के पत्राक 3329 दिनांक 25.05.2019 एवं प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 462278, दिनांक 21.05.2020 द्वारा भी निदेश निर्गत किये गये है।

राज्य में 'ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन' कार्य का क्रियान्वयन एवं 'खुले में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व की दिशा में समेकित रूप से कार्य किये जाने तथा उपलब्ध संसाधनों को समुचित उपयोग किये जाने के मद्देनजर विभिन्न कार्य हेतु उपलब्ध निधि / राशि प्रबंधन को निम्न प्रकार से चिन्हित किया गया है, जिसके आलोक में क्रियान्वयन एजेन्सी यथा- त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं, प्रखण्ड कार्यालय एवं अन्य तकनीकी एजेन्सी द्वारा अग्रेतर कार्य योजना तैयार कर उपलब्ध निधि का उपयोग किया जायेगा ।

<u>स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) एवं 15वें वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त चिन्हित राशि (Tied fund) को स्वच्छता एवं 'खुले में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व हेतु निम्न प्रकार के कार्यों पर व्यय किये जायेंगे:</u>

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	15वें वित्त आयोग एवं अन्य योजनाओं के अभिसरण से
(क) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन :- • वार्ड स्तर पर प्रत्येक घर से ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु प्रत्येक वार्ड के लिए एक पैडल रिक्शा/CART के क्रय के लिए अधिकतम रू० 20,000/- तक। • ग्राम पंचायत स्तर पर प्रत्येक वार्ड से अपशिष्ट के संग्रहण एवं परिवहन हेतु ई-रिक्शा के क्रय के लिए अधिकतम रू० 1.5 लाख तक। • स्वच्छता कर्मी (प्रत्येक वार्ड में एक) एवं स्वच्छता पर्यवेक्षक (प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक) के मासिक मानदेय अधिकतम 12	• प्रत्येक घर (House Hold) को दो कूड़ेदान उपलब्ध कराना। • बाजार, हाट इत्यादि परिसर में दो कूड़ेदान उपलब्ध कराना। • सफाईकर्मी / स्वच्छता कर्मी के सुरक्षा संबंधित उपकरण या सामग्री यथा-ग्लब्स, एपरन, कैप, मास्क, सिटी, बूट इत्यादि उपलब्ध कराना। • प्रत्येक राजस्व ग्राम में निर्धारित स्थल पर वर्मी कम्पोस्ट ईकाई का निर्माण। • अपशिष्ट प्रसंस्करण ईकाई के निर्माण • ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के प्रारंभ होने के एक वर्ष के उपरांत स्वच्छता पर्यवेक्षक एवं स्वच्छता कर्मी का कार्य आधारित पारिश्रमिक

महीनों के लिए (ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन मार्गदर्शिका के आलोक में)	
(ख) तरल अपशिष्ट प्रबंधन :- • 100 से 200 घरों हेतु दो (02) सामुदायिक सोख्ता निर्माण के लिए अधिकतम रू० 30,000 तक। • गली नली पक्कीकरण योजना के साथ सामंजस्य कर वार्ड/गांव में निर्मित नाली के अंत या मुहाने पर सामुदायिक सोख्ता का निर्माण किया जा सकता है।	• ड्रेनेज के लिए नाली का निर्माण। • पाक्षिक तौर पर चक्रीय क्रम में नालियों की सफाई एवं चूना / ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव कार्य तथा आवश्यकतानुसार उपकरणों का क्रय एवं रख-रखाव।
• Waste Stabilization Pond (अपशिष्ट स्थिरीकरण पोखर) के निर्माण हेतु 5000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए अधिकतम रू० 280/- तक प्रति व्यक्ति की दर से एवं 5000 से अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों के लिए अधिकतम रू० 660/- तक प्रति व्यक्ति की दर से। (SBM-G मार्गदर्शिका के अनुसार)	
(ग) प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन :- • प्रखण्ड स्तर पर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन ईकाई के निर्माण हेतु अधिकतम रू० 16 लाख तक। (SBM-G मार्गदर्शिका के अनुसार)	
(घ) मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन :- • जिला स्तर पर मलयुक्त कीचड़ के उचित निपटान हेतु को-ट्रीटमेंट, ट्रेंचिग इत्यादि तकनीक पर अधिकतम रू० 230/- प्रति व्यक्ति के दर से व्यय किया जाना। (SBM-G मार्गदर्शिका के अनुसार)	• मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन हेतु निर्मित संरचना एवं क्रय किये गये परिसम्पतियों का रख–रखाव हेतु व्यय।
(ङ) मासिक माहवारी प्रबंधन (MHM) :- मासिक माहवारी प्रबंधन से संबंधित सूचना, शिक्षा एवं संचार	• मासिक माहवारी प्रबंधन अंतर्गत अपशिष्ट का सुरक्षित एवं उचित निपटान से संबंधित कार्यों पर व्यय यथा-गहरे गड्ढे में निपटान या इन्सिनीरेटर (अपशिष्ट को

गतिविधियों का क्रियान्वयन	जलाने हेतु) का उपयोग यथा- बालिका उच्च एवं बालिका मध्य विद्यालयों में।
(च) संचालन एवं अनुरक्षण (O&M) :-	• संबंधित ग्राम पंचायतों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाना। • समुदाय स्तर पर निर्मित सभी परिसम्पति के रख रखाव (O&M) हेतु किये जाने वाला व्यय, यथा- o अपशिष्ट प्रसंस्करण ईकाई (Waste Processing Unit) o ग्रे वाटर मैनेजमेंट - समुदाय स्तर पर सोख्ता एवं Waste Stabilization Pond (अपशिष्ट स्थिरीकरण पोखर) o मलयुक्त कीचड़ प्रबंधन (Faecal Sludge Management) o सार्वजनिक कम्पोस्ट पीट एवं सोख्ता। o सामुदायिक स्वच्छता परिसर।
(छ) सामुदायिक स्वचछता परिसर (CSC) :- एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर (मॉडल स्टीमेट लागत 3.00 लाख) के निर्माण हेतु अधिकतम राशि रू० 2.10 लाख तक (70%)। (SBM-G मार्गदर्शिका के अनुसार)	• एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर के निर्माण हेतु शेष न्युनतम राशि 90 हजार (30%)। • सामुदायिक स्वच्छता परिसर का दैनिक रख-रखाव एवं साफ-सफाई।
(ज) गोबरधन योजना :- • गोबरधन योजना के क्रियान्वयन हेतु अधिकतम रू० 50 लाख प्रति जिला के दर से (SBM-G मार्गदर्शिका के अनुसार)	• गोबरधन योजना के अन्तर्गत र्निमित परिसम्पति का प्रबंधन एवं रख-रखाव।
(झ) ग्राम पंचायत के आंतरिक संसाधन की प्राप्ति एवं उपयोग :-	• ग्राम पंचायत आम सहमति से स्वच्छता शुल्क वसूल सकती है। ग्राम पंचायत / समुदाय आधारित संगठनों द्वारा संग्रहित अपशिष्ट से बनने वाले वर्मी कम्पोस्ट (जैविक खाद) का उपयोग अथवा बिक्री अपने संस्था के संसाधन वृद्धि के लिए कर सकेगी।

उपरोक्त मद से र्निमित सभी परिसम्पतियों के रख-रखाव एवं संचालन एवं अनुरक्षण की जिम्मेवारी संबंधित ग्राम पंचायत की होगी।

उपरोक्त के आलोक में अनुरोध है कि सभी संबंधितों यथा-त्रिस्तरीय पंचायती राज संसथाओं के प्रतिनिधि, जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को 15वें वित्त आयोग अनुदान से प्राप्त Tied Fund (चिन्हित राशि) को 'सम्पूर्ण स्वच्छता' एवं 'स्वच्छ

पेयजल आपूर्ति' अन्तर्गत चिन्हित कार्यों पर आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई एवं नियमानुसार व्यय किये जाने के संबंध में निदेशित करेंगे। साथ ही, क्रियान्वित कार्यों का सघन अनुश्रवण करते हुए सम्पूर्ण स्वच्छता से संबंधित कार्यों को पूर्ण करायेंगे, जिससे राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में 'स्वच्छ पेयजल आपूर्ति' एवं 'स्वच्छता' तथा 'खुले में शौच से मुक्ति' के स्थायित्व के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

14/9/2020

(प्रधान सचिव)
ग्रामीण विकास विभाग

14.9.20

(अपर मुख्य सचिव)
पंचायती राज विभाग

पत्रांक 2908/8
ग्रा०वि०15(स्वच्छता)-11/2019

दिनांक 15/09/2020

प्रतिलिपि:

1. सभी जिला पंचायती राज पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रषित।
2. सभी उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. निदेशक, पंचायती राज विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका-सह-मिशन निदेशक, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

14/9/2020

(प्रधान सचिव)
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 2908/8
ग्रा०वि०15(स्वच्छता)-11/2019

दिनांक 15/09/2020

प्रतिलिपि : विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

14/9/2020

(प्रधान सचिव)
ग्रामीण विकास विभाग